"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर 2017—कार्तिक 12, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/एक-2.—श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. (2008), संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को केवल संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती ऋतु सैन, भा.प्र.से. (2003), विशेष सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थ करता है.

श्रीमती ऋतु सैन, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् अपर आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

2. श्रीमती शारदा वर्मा, भा.प्र.से. (2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलौदाबाजार-भाटापारा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, बजट के पद पर पदस्थ करता है.

श्रीमती शारदा वर्मा, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, बजट का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्रीमती आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा संचालक, बजट केवल संचालक, बजट के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

3. श्री एस. जयवर्धन, भा.प्र.से. (2014), अनुविभागीय अधिकारी (राज.), घरघोड़ा जिला-रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलौदाबाजार-भाटापारा के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2011), उप सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग तथा कार्यकारी निदेशक, छ.ग. स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्रमांक ई 7-16/2017/एक-2.—विभागीय आदेश दिनांक 27-09-2017 द्वारा दिनांक 06-09-2017 से दिनांक 29-09-2017 तक स्वीकृत अर्जित अवकाश की निरंतरता में श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से., अपर कलेक्टर, दुर्ग को दिनांक 30-09-2017 से दिनांक 13-10-2017 तक अर्जित अवकाश में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15 अक्टूबर, 2017 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 2-18/2010/नौ/55-तीन.—राज्य शासन, "छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा नियम, 2014" में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 5 के उप नियम (1) (क) के पश्चात् निम्नानुसार अंत: स्थापित किया जाता है :—

"(1) (क) (एक) निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों की कुल सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें शासकीय नियतांश की तथा 50 प्रतिशत सीटें प्रबंधन नियतांश की होंगी."

उक्त संशोधन शैक्षणिक सत्र् 2017-18 हेतु लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2017

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2018 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-09-115/गृह-सी/परीक्षा/2017.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 08 जनवरी, 2018 से 15 जनवरी, 2018 तक रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर (बस्तर) तथा अंबिकापुर (सरगुजा) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 08-01-2018

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

सोमवार, दिनांक 08-01-2018

(1)	(2)	(3)
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	प्रश्न पत्र-विद्युत संबंधी विधियां, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	सोमवार, दिनांक 08-01-2018	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	प्रश्न पत्र-भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	मंगलवार, दिनांक 09-01-2018	
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	प्रश्न-पत्र विद्युत संस्थापनायें, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	

मंगलवार, दिनांक 09-01-2018

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	प्रश्न पत्र-लेखा व स्थापना, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, (पुस्तकों की सहायता से) सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	
	बुधवार, दिनांक 10-01-2018	
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
21.	प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम, वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
24.	प्रश्न पत्र- "व्यावहारिक शाखा" पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
63.	प्रश्न पत्र-स्विच गेयर तथा संरक्षण (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	
	बुधवार, दिनांक 10-01-2018	
25.	प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	

बुधवार, दिनांक 10-01-2018

(1)	(2)	(3)
27.	प्रश्न पत्र "पुलिस शाखा" (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा एवं भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	प्रश्न पत्र-इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास, (बिना पुस्तकों के) सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये.	

गुरूवार, दिनांक 11-01-2018

33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
34.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), नैसर्गिक संसाधन (खनिज) विभाग के अधिकारियों के लिये.	

गुरूवार, दिनांक 11-01-2018

(1)	(2)	(3)
41.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 12-01-2018

45.	प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये .	
46.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
49.	द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	प्रश्न पत्र-पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 12-01-2018

51.	प्रश्न पत्र-भाग-2-लेखा (पुस्तकों सहित) सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
	शनिवार, दिनांक 13-01-2018 एवं रविवार, दिनांक 14-01-2016 को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 15-01-2018	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

   इन प्रमाण-पत्रों को गृह-सी विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15-12-2017 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसका शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णत: प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत: अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ-20-22/2015/11/6..—चूंकि राज्य शासन को ''छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015'' के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतदद्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित ''प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग योजना'' को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-05-2015 द्वारा जारी ''प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों की सूची-उत्पाद आधारित'' में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में ''प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों की सूची-उत्पाद'' आधारित में क्रमांक-25 के पश्चात् निम्नानुसार क्रमांक-26 जोड़ा जाये, अर्थात्

क्र.	विवरण	प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम निर्धारित सीमा (राशि रु. लाख में)
26	भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध स्टार्ट अप	निरंक

(दो) उक्त अधिसूचना में टीप 2 के पश्चात् निम्नलिखित टीप 3 जोड़ा जाये, अर्थात्

3. छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्ट अप को प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग की पात्रता निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :—
    1. स्टार्ट अप पैकेज हेतु निवेश की कोई न्यूनतम बाध्यकारी सीमा नहीं होगी.
    2. अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय भी उद्योग/सेवा का वैध स्टार्ट अप यूनिट होना आवश्यक है.
    3. स्टार्ट अप की परिभाषा की वैधता अवधि पांच वर्ष/अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय यदि उद्यम/सेवा स्टार्ट अप में वैध नहीं रह जाता है तो शेष अवधि के लिये संबंधित अनुदान की मूल अधिसूचना की पात्रता अनुसार अंकित अनुदान की दर व मात्रा प्राप्त होगी, अधिकतम मात्रा भी मूल अधिसूचना अनुसार ही होगी.
    4. यदि उद्यम/सेवा स्थापित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने की तिथि से ही प्रारंभ होगी. इसके पूर्व के स्वत्व मूल अधिसूचना में अंकित दर एवं मात्रा (अधिकतम सीमा सहित) अनुसार होंगे.
    5. स्टार्ट अप पैकेज लिये जाने पर सामान्य वर्ग, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, नि:शक्त वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु निर्धारित अनुदान की पात्रता नहीं रह जावेगी, अर्थात् केवल स्टार्ट अप पैकेज का ही लाभ प्राप्त होगा.
    6. स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता हेतु अनुदान की दर एवं मात्रा वह होगी, जो संशोधित अधिसूचना में दर्शायी गयी है. स्टार्ट अप पैकेज हेतु औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की कोई श्रेणी नहीं होगी.

7. भारत सरकार से स्टार्ट अप का पंजीयन होने के आधार पर यदि भारत सरकार द्वारा समान स्वरूप का अनुदान स्वीकृत किया गया है तो इस पैकेज के तहत् समान स्वरूप का अनुदान राज्य शासन से प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी.

8. स्टार्ट अप पैकेज का लाभ उद्योग/सेवा को प्राप्त करने की पात्रता तब तक ही रहेगी, जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है.

9. स्टार्ट अप पैकेज के अंतर्गत अनुदान की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया वेबसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा.

10. यदि उद्यम/सेवा प्रस्तावित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने के पश्चात् तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् ही अधिसूचना के प्रावधान अनुसार होगी.

नया रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ-20-68/2015/11/6..—चूंकि राज्य शासन को "छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015" के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित "ब्याज अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-08-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम-2014" में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में उप पैरा 5.14 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा जोड़ा जाये, अर्थात्

5.15 छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट प्रमाण पत्र धारित होने वाले स्टार्ट अप को लिए गये सावधि ऋण पर स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता होगी. यह पात्रता निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :—

1. स्टार्ट अप पैकेज हेतु निवेश की कोई न्यूनतम बाध्यकारी सीमा नहीं होगी.

2. अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय भी उद्योग/सेवा का वैध स्टार्ट अप यूनिट होना आवश्यक है.

3. यदि उद्यम/सेवा स्थापित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने की तिथि से ही प्रारंभ होगी. इसके पूर्व के स्वत्व मूल अधिसूचना में अंकित दर एवं मात्रा (अधिकतम सीमा सहित) अनुसार होंगे.

4. स्टार्ट अप पैकेज लिये जाने पर सामान्य वर्ग, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, नि:शक्त वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु निर्धारित अनुदान की पात्रता नहीं रह जावेगी, अर्थात् केवल स्टार्ट अप पैकेज का ही लाभ प्राप्त होगा.

5. स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता हेतु अनुदान की दर एवं मात्रा वह होंगी, जो अधोलिखित बिन्दु क्र. 7.06 के तहत् दर्शायी गई है. स्टार्ट अप पैकेज हेतु औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की कोई श्रेणी नहीं होगी.

6. भारत सरकार से स्टार्ट अप का पंजीयन होने के आधार पर यदि भारत सरकार द्वारा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृत किया गया है, तो इस पैकेज के तहत् स्थायी पूंजी निवेश अनुदान राज्य शासन से प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी.

7. स्टार्ट अप पैकेज का लाभ उद्योग/सेवा को प्राप्त करने की पात्रता तब तक ही रहेगी, जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है.

8. स्टार्ट अप पैकेज के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्ट अप इंडिया वेबसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा.

9. यदि उद्यम/सेवा प्रस्तावित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने के पश्चात् तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् ही अधिसूचना के प्रावधान अनुसार होगी.

टीप :— उपरोक्त 5.15 हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट अपघोषित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 6 में उप 6.05 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा 6.06 जोड़ा जाये अर्थात्

6.06 स्टार्ट अप को निम्नानुसार दर से स्थाीय पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता होगी :—

i सूक्ष्म एवं लघु उद्योग-35 प्रतिशत, अधिकतम रु. 60 लाख.

ii मध्यम उद्योग-35 प्रतिशत, अधिकतम रु. 70 लाख.

iii वृहद उद्योग-35 प्रतिशत, अधिकतम रु. 110 लाख.

iv मेगा उद्योग-40 प्रतिशत, अधिकतम रु. 350 लाख.

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 7.1 में (10) के पश्चात् निम्नलिखित (11) जोड़ा जावे, अर्थात्

(11) छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट अप प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(चार) स्टार्ट अप को दिये जाने वाले स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 21-08-2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ-20-23/2016/11/6..—चूंकि राज्य शासन को "छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015" के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित "प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-07-2017 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी अनुदान नियम-2014" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 4 में उप पैरा 4.6 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा 4.7 जोड़ा जाये, अर्थात् —

4.7 छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्ट अप को प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान की पात्रता होगी. यह पात्रता निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :—

1. स्टार्ट अप पैकेज हेतु निवेश की कोई न्यूनतम बाध्यकारी सीमा नहीं होगी.

2. अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय भी उद्योग/सेवा का वैध स्टार्ट अप यूनिट होना आवश्यक है.

3. स्टार्ट अप की परिभाषा की वैधता अवधि पांच वर्ष/अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय यदि उद्यम/सेवा, स्टार्ट अप में वैध नहीं रह जाता है तो शेष अवधि के लिये प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान की मूल अधिसूचना की पात्रता अनुसार अंकित अनुदान की दर व मात्रा प्राप्त होगी, अधिकतम मात्रा भी मूल अधिसूचना अनुसार ही होगी.

4. यदि उद्यम/सेवा स्थापित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने की तिथि से ही प्रारंभ होगी. इसके पूर्व के स्वत्व मूल अधिसूचना में अंकित दर एवं मात्रा (अधिकतम सीमा सहित) अनुसार होंगे.

5. स्टार्ट अप पैकेज लिये जाने पर सामान्य वर्ग, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, नि:शक्त वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु निर्धारित अनुदान की पात्रता नहीं रह जावेगी, अर्थात् केवल स्टार्ट अप पैकेज का ही लाभ प्राप्त होगा.

6. स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता हेतु अनुदान की दर एवं मात्रा वह होगी, जो अधोलिखित बिन्दु क्र. 6.4 के तहत् दर्शायी गई है. स्टार्ट अप पैकेज हेतु औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की कोई श्रेणी नहीं होगी.

7. भारत सरकार से स्टार्ट अप का पंजीयन होने के आधार पर यदि भारत सरकार द्वारा औद्योगिकी क्रय अनुदान स्वीकृत किया गया है तो इस पैकेज के तहत् प्रौद्योगिक क्रय अनुदान राज्य शासन से प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी.

8. स्टार्ट अप पैकेज का लाभ उद्योग/सेवा को प्राप्त करने की पात्रता तब तक ही रहेगी, जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है.

9. स्टार्ट अप पैकेज के अंतर्गत प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया वेबसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा.

10. यदि उद्यम/सेवा प्रस्तावित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने के पश्चात् तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् ही अधिसूचना के प्रावधान अनुसार होगी.

टीप :— उपरोक्त 4.7 हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट अप घोषित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में उप 5.1 (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा 5.1 (6) जोड़ा जाये, अर्थात्—

5.1 (6) छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट अप प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 6 में उप पैरा 6.3 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा 6.4 जोड़ा जावे, अर्थात्—

6.4 प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 6.00 लाख.

(चार) स्टार्ट अप को दिये जाने वाले प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 22-07-2017 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ-20-31/2015/11/6..—चूंकि राज्य शासन को "छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015" के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित "ब्याज अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04-06-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम-2014" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में उप पैरा 5.13 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा जोड़ा जाये, अर्थात् —

5.16 छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्ट अप को लिए गये सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान की पात्रता होगी. यह पात्रता निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :—

1. स्टार्ट अप पैकेज हेतु निवेश की कोई न्यूनतम बाध्यकारी सीमा नहीं होगी.

2. अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय भी उद्योग/सेवा का बैध स्टार्ट अप यूनिट होना आवश्यक है.

3. स्टार्ट अप की परिभाषा की वैधता अवधि पांच वर्ष/अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय यदि उद्यम/सेवा, स्टार्ट अप में वैध नहीं रह जाता है तो शेष अवधि के लिये ब्याज अनुदान की मूल अधिसूचना की पात्रता अनुसार अंकित अनुदान की दर व मात्रा प्राप्त होगी, अधिकतम मात्रा भी मूल अधिसूचना अनुसार ही होगी.

4. यदि उद्यम/सेवा स्थापित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने की तिथि से ही प्रारंभ होगी. इसके पूर्व के स्वत्व मूल अधिसूचना में अंकित दर एवं मात्रा (अधिकतम सीमा सहित) अनुसार होंगे.

5. स्टार्ट अप पैकेज लिये जाने पर सामान्य वर्ग, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, निःशक्त वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु निर्धारित अनुदान की पात्रता नहीं रह जावेगी, अर्थात् केवल स्टार्ट अप पैकेज का ही लाभ प्राप्त होगा.

6. स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता हेतु अनुदान की दर एवं मात्रा वह होगी, जो अधोलिखित बिन्दु क्र. 6.18 के तहत् दर्शायी गई है. स्टार्ट अप पैकेज हेतु औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की कोई श्रेणी नहीं होगी.

7. भारत सरकार से स्टार्ट अप का पंजीयन होने के आधार पर यदि भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान स्वीकृत किया गया है अथवा रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया है, तो इस पैकेज के तहत् ब्याज अनुदान राज्य शासन से प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी.

8. स्टार्ट अप पैकेज का लाभ उद्योग/सेवा को प्राप्त करने की पात्रता तब तक ही रहेगी, जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है.

9. स्टार्ट अप पैकेज के अंतर्गत ब्याज अनुदान की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टप इंडिया वेबसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा.

10. यदि उद्यम/सेवा प्रस्तावित है ते स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने के पश्चात् तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् ही अधिसूचना के प्रावधान अनुसार होगी.

टीप :— उपरोक्त 5.16 हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट अप घोषित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 6 में उप 6.17 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा 6.18 जोड़ा जाये, अर्थात्—

6.18 स्टार्ट अप को लिये गये सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा रुपये 70 लाख प्रतिवर्ष

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 7.1 में (11) के पश्चात् निम्नलिखित (12) जोड़ा जावे, अर्थात् —

(12) छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट अप प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(चार) स्टार्ट अप को दिये जाने वाले ब्याज अनुदान के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 04-06-2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ-20-83/2015/11/6..—चूंकि राज्य शासन को "छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015" के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित "तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-09-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम-2014" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 4 में उप पैरा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा जोड़ा (10) जाये, अर्थात्

(10) छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्ट अप को लिए गये सावधि ऋण पर तकनीकी पेटेन्ट अनुदान की पात्रता होगी. यह पात्रता निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :—

1. स्टार्ट अप पैकेज हेतु निवेश की कोई न्यूनतम बाध्यकारी सीमा नहीं होगी.

2. अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय भी उद्योग/सेवा का वैध स्टार्ट अप यूनिट होना आवश्यक है.

3. स्टार्ट अप की परिभाषा की वैधता अवधि पांच वर्ष/अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय यदि उद्यम/सेवा, स्टार्ट अप में वैध नहीं रह जाता है तो शेष अवधि के लिये तकनीकी पेटेन्ट अनुदान की मूल अधिसूचना की पात्रता अनुसार अंकित अनुदान की दर व मात्रा प्राप्त होगी, अधिकतम मात्रा भी मूल अधिसूचना अनुसार ही होगी.

4. यदि उद्यम/सेवा स्थापित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने की तिथि से ही प्रारंभ होगी. इसके पूर्व के स्वत्व मूल अधिसूचना में अंकित दर एवं मात्रा (अधिकतम सीमा सहित) अनुसार होंगे.

5. स्टार्ट अप पैकेज लिये जाने पर सामान्य वर्ग, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, नि:शक्त वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु निर्धारित अनुदान की पात्रता नहीं रह जावेगी, अर्थात् केवल स्टार्ट अप पैकेज का ही लाभ प्राप्त होगा.

6. स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता हेतु अनुदान की दर एवं मात्रा वह होगी, जो अधोलिखित बिन्दु क्र. 6.6 के तहत् दर्शायीं गई है. स्टार्ट अप पैकेज हेतु औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की कोई श्रेणी नहीं होगी.

7. भारत सरकार से स्टार्ट अप का पंजीयन होने के आधार पर यदि भारत सरकार द्वारा तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृत किया गया है तो इस पैकेज के तहत् ब्याज अनुदान राज्य शासन से प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी.

8. स्टार्ट अप पैकेज का लाभ उद्योग/सेवा को प्राप्त करने की पात्रता तब तक ही रहेगी, जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है.

9. स्टार्ट अप पैकेज के अंतर्गत तकनीकी पेटेन्ट अनुदान की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टप इंडिया वेबसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा.

10. यदि उद्यम/सेवा प्रस्तावित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने के पश्चात् तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् ही अधिसूचना के प्रावधान अनुसार होगी.

टीप :— उपरोक्त (10) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट अप घोषित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में उप 5.1 (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा 5.1 (7) जोड़ा जाये, अर्थात्—

(7) छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट अप प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 6.5 के पश्चात् निम्नलिखित 6.6 जोड़ा जावे, अर्थात्—

(6.6) पेटेंट प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 6.00 लाख.

(चार) स्टार्ट अप को दिये जाने वाले तकनीकी पेटेन्ट अनुदान के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 28-09-2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ-20-24/2015/11/6.—चूंकि राज्य शासन को "छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015" के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित "भू-प्रब्याजी में छूट/रियायत योजना" को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-05-2015 द्वारा जारी "औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू आबंटन पर भूमि प्रब्याजी में छूट/रियायत नियम" के प्रथम पैरा की दो सारणियों के पश्चात निम्नानुसार तृतीय सारणी समाविष्ट कर संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) **स्टार्ट अप इकाईयां :—**

क्षेत्र जहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है/स्थापित होंगे	उद्योगों की श्रेणी	उद्यमियों का वर्ग			
		सामान्य वर्ग	अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.) निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले उद्यमी	महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं नि:शक्त उद्यमी	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
समस्त औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क	समस्त श्रेणी	60 प्रतिशत	60 प्रतिशत	60 प्रतिशत	60 प्रतिशत

इस छूट की पात्रता निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :—

1. स्टार्ट अप पैकेज हेतु निवेश की कोई न्यूनतम बाध्यकारी सीमा नहीं होगी.

2. अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय भी उद्योग/सेवा का वैध स्टार्ट अप यूनिट होना आवश्यक है.

3. यदि उद्यम/सेवा स्थापित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने की तिथि से ही प्रारंभ होगी. इसके पूर्व के स्वत्व मूल अधिसूचना में अंकित दर एवं मात्रा (अधिकतम सीमा सहित) अनुसार होंगे.

4. स्टार्ट अप पैकेज लिये जाने पर सामान्य वर्ग, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, नि:शक्त वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु निर्धारित अनुदान की पात्रता नहीं रह जावेगी, अर्थात् केवल स्टार्ट अप पैकेज का ही लाभ प्राप्त होगा.

5. भारत सरकार से स्टार्ट अप का पंजीयन होने के आधार पर यदि भारत सरकार द्वारा भू-प्रब्याजी अनुदान स्वीकृत किया गया है तो इस पैकेज के तहत् भू-प्रब्याजी में छूट राज्य शासन से प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी.

6. स्टार्ट अप पैकेज का लाभ उद्योग/सेवा को प्राप्त करने की पात्रता तब तक ही रहेगी, जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है.

7. स्टार्ट अप पैकेज के अंतर्गत भू-प्रब्याजी में छूट की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया बेवसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा.

8. यदि उद्यम/सेवा प्रस्तावित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने के पश्चात् ही अधिसूचना के प्रावधान अनुसार होगी.

टीप :— उपरोक्त भू-प्रब्याजी में छूट हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्टअप घोषित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 4 के उप पैरा 4.6 में परिवार एवं नि:शक्त संबंधी प्रमाण पत्र के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जावे, अर्थात् —

छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट अप प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

यह अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर 2016 से प्रवृत्त मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2017

क्रमांक /एफ 8-5/2006/11/(6).—बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा एन.टी.पी.सी., लिमि. कोरबा, के बायलर क्रमांक एम.पी./3799 को दिनांक 27-09-2017 से 30-11-2017 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर अथवा बायलर कंपोनेट में होने वाली किसी भी दुर्घटना की सूचना बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल निरीक्षक वाष्पयंत्र/मुख्यनिरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर, पाइप लाइन तथा बायलर कंपोनेट में किसी प्रकार संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 385 क की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप से जमा कराई जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कोसम, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 3-11/2017/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, (क्रमांक-2 सन् 1974) की धारा-2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

स. क्र.	उस थाना/चौकी का नाम, तहसील एवं जिला जिसमें सम्मिलित किया जाना है	उस थाना/चौकी का नाम, तहसील एवं जिला जिससे अपवर्जित किया जाना है	शामिल होने वाले प्रस्तावित ग्रामों के नाम	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		जिला—राजनांदगांव		
01.	थाना-मोहगांव, तहसील-छुईखदान जिला-राजनांदगांव.	थाना-गण्डई, तहसील-छुईखदान जिला-राजनांदगांव.	डुमरिया (खर्रा)	08
02.	—,,—	—,,—	दरबानटोला	08
03.	—,,—	—,,—	मोहगांव	08
04.	—,,—	—,,—	पहाड़ी मानपुर	08
05.	—,,—	—,,—	लमरा	08
06.	—,,—	—,,—	बेलगांव	10
07.	—,,—	—,,—	डाण्डूटोला	10
08.	—,,—	—,,—	लावातरा	28
09.	—,,—	—,,—	देवरचा	28
10.	—,,—	—,,—	झिरिया	28
11.	—,,—	—,,—	पटपर	28
12.	—,,—	—,,—	बेंगरी	08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	थाना–मोहगांव, तहसील–छुईखदान जिला–राजनांदगांव.	थाना–गण्डई, तहसील–छुईखदान जिला–राजनांदगांव.	पैलीमेटा	09
14.	—,,—	—,,—	भदेरा	10
15.	—,,—	—,,—	सिंगारपुर	10
16.	—,,—	—,,—	अचानकपुर	09
17.	—,,—	—,,—	चुचरूंगपुर	09
18.	—,,—	—,,—	ठाकुरटोला	10
19.	—,,—	—,,—	गर्रा	28
20.	—,,—	—,,—	भण्डारपुर	10
21.	—,,—	—,,—	जुझारा	10
22.	—,,—	—,,—	गहिराटोला	09
23.	—,,—	—,,—	मगरकुण्ड	09
24.	—,,—	—,,—	जंगलपुरघाट (खैरानवापारा)	09
25.	—,,—	—,,—	जीराटोला	09
26.	—,,—	—,,—	बगदूर	22
27.	—,,—	—,,—	सुकतरा	10
28.	—,,—	थाना–साल्हेवारा, तहसील–छुईखदान जिला–राजनांदगांव.	अमरपुर	02
29.	—,,—	—,,—	परसाही	07
30.	—,,—	—,,—	बकोकना	06
01.	थाना–गोटाटोला, तहसील–मोहला जिला–राजनांदगांव.	थाना–मोहला, तहसील–मोहला जिला–राजनांदगांव.	गोटाटोला	18
02.	—,,—	—,,—	कंगलूटोला	14
03.	—,,—	—,,—	चिहकाटोला	14
04.	—,,—	—,,—	ढूंटीटोला	14
05.	—,,—	—,,—	गिधाली	14
06.	—,,—	—,,—	दुग्गाटोला	13
07.	—,,—	—,,—	आमाडुला	12
08.	—,,—	—,,—	पलांदुर	15
09.	—,,—	—,,—	मचांदुर	15
10.	—,,—	—,,—	ककईपार	15
11.	—,,—	—,,—	केसला	15
12.	—,,—	—,,—	बोगाटोला	13
13.	—,,—	—,,—	परसूटोला	16
14.	—,,—	—,,—	अड़मागोंदी	16
15.	—,,—	—,,—	मरापीटोला	16
16.	—,,—	—,,—	कुम्हली	16
17.	—,,—	—,,—	बावडूटोला	16
18.	—,,—	—,,—	मूकादाह	17
19.	—,,—	—,,—	मूचर	17
20.	—,,—	—,,—	चंदनबिहरी	17
21.	—,,—	—,,—	माटकसा	17
22.	—,,—	—,,—	अंगारा	17
23.	—,,—	—,,—	डालकसा	17
24.	—,,—	—,,—	कलचुवा	15
25.	—,,—	—,,—	बागदो	15
26.	—,,—	—,,—	डुंडेरा	14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.	थाना-गोटाटोला, तहसील-मोहला जिला-राजनांदगांव.	थाना-मोहला, तहसील-मोहला जिला-राजनांदगांव.	पीड़िंगपार	13
28.	—,,—	—,,—	भीमपुरी	18
29.	—,,—	—,,—	टेकामटोला	18
30.	—,,—	—,,—	हर्राटोला	18
31.	—,,—	—,,—	घावड़ेटोला	19
32.	—,,—	—,,—	परारटोला	19
33.	—,,—	—,,—	तेलीटोला	14
34.	—,,—	—,,—	केंवटटोला	14
35.	—,,—	—,,—	बीरसिंगटोला	16
36.	—,,—	—,,—	बुधानकट्टा	20
37.	—,,—	—,,—	भालापुर	20
38.	—,,—	—,,—	डूमरटोला	18
39.	—,,—	—,,—	मटेवा	14
40.	—,,—	थाना-अम्बागढ़ चौकी, तहसील-मोहला जिला-राजनांदगांव.	सोमाटोला	16
41.	—,,—	—,,—	पद्दाटोला	16
42.	—,,—	—,,—	खमटोला	16
43.	—,,—	थाना-खडगांव, तहसील-मोहला जिला-राजनांदगांव.	मोहबट्टा	22
44.	—,,—	—,,—	सुअरपाल	22
45.	—,,—	—,,—	रानाटोला	21
46.	—,,—	—,,—	चांपाटोला	20
47.	—,,—	—,,—	आलकन्हार	20
01.	थाना-ठेलकाडीह, तहसील-खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव.	थाना-खैरागढ़, तहसील-खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव.	ठेलकाडीह	14
02.	—,,—	—,,—	मरकाम कला	14
03.	—,,—	—,,—	महरूम कला	14
04.	—,,—	—,,—	सिंगारपुर	14
05.	—,,—	—,,—	तुलसीपुर	14
06.	—,,—	—,,—	छछानपहरी	14
07.	—,,—	—,,—	फत्तेपुर	14
08.	—,,—	—,,—	गोपालपुर	13
09.	—,,—	—,,—	चारभांठा	13
10.	—,,—	—,,—	तिलईभाठ	13
11.	—,,—	—,,—	विचारपुर	13
12.	—,,—	—,,—	पचपेड़ी	13
13.	—,,—	—,,—	गतापारकला	12
14.	—,,—	—,,—	सिरसाही	12
15.	—,,—	—,,—	शिकारीटोला	12
16.	—,,—	—,,—	कोटरीछापर	12
17.	—,,—	—,,—	ताकम	12
18.	—,,—	—,,—	मदनपुर	12
19.	—,,—	—,,—	गोपालपुर	12
20.	—,,—	—,,—	रूसे	12
21.	—,,—	—,,—	आल्हा नवागांव	12
22.	—,,—	—,,—	चिचोला	16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	थाना–ठेलकाडीह, तहसील–खैरागढ़ जिला–राजनांदगांव.	थाना–खैरागढ़, तहसील–खैरागढ़ जिला–राजनांदगांव.	उरई डबरी	16
24.	—,,—	—,,—	घोघेडबरी	17
25.	—,,—	थाना–घुमका, तहसील–राजनांदगांव जिला–राजनांदगांव.	सहसपुर दल्ली	01
26.	—,,—	—,,—	जोगी दल्ली	01
27.	—,,—	—,,—	भरकाटोला	01
28.	—,,—	—,,—	अमलीडीह	01
29.	—,,—	—,,—	कोहाकुड़ा	01
30.	—,,—	—,,—	कलकसा	01
31.	—,,—	—,,—	ढाबा	01
32.	—,,—	—,,—	महरूमखुर्द	11
33.	—,,—	—,,—	बासुला	12
34.	—,,—	—,,—	पदुमतरा	13
35.	—,,—	—,,—	डंगनिया	13
36.	—,,—	—,,—	खपरीखुर्द	12
37.	—,,—	—,,—	धौराभांठा	12
38.	—,,—	—,,—	बुन्देलीकला	13
39.	—,,—	—,,—	बुन्देलीखुर्द	12
40.	—,,—	—,,—	डुमरडीहकला	12
41.	—,,—	—,,—	सेम्हरा दैहान	12
42.	—,,—	—,,—	चवेली	12
43.	—,,—	—,,—	भैंसातरा	01
44.	—,,—	—,,—	डारागांव	20
45.	—,,—	—,,—	डोम्हाटोला	13
46.	—,,—	—,,—	चवरढाल	11
47.	—,,—	—,,—	देवडोंगर	11
48.	—,,—	—,,—	भरदाखुर्द	10
49.	—,,—	—,,—	नागलदाह	03
50.	—,,—	चौकी–मोहारा/थाना–डोंगरगढ़ तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव	विष्णुपुर	09
51.	—,,—	—,,—	खुर्सीपारखुर्द	09
52.	—,,—	—,,—	बिल्हारी	10
53.	—,,—	—,,—	खुड़मुड़ी	11
54.	—,,—	—,,—	खैरा	11
55.	—,,—	—,,—	सेम्हरा	10
56.	—,,—	—,,—	गातापारखुर्द	10
57.	—,,—	—,,—	पेण्ड्री	11

जिला—कबीरधाम

01.	थाना–झलमला, तहसील–बोडला जिला–कबीरधाम.	थाना–चिल्फी, तहसील–बोडला जिला–कबीरधाम.	झलमला	39
02.	—,,—	—,,—	बोदलीपानी	42
03.	—,,—	—,,—	जामुनपानी	42
04.	—,,—	—,,—	सेनवाहीपारा (सरेंडा)	39
05.	—,,—	—,,—	मुड़वाही	42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
06.	थाना-झलमला, तहसील-बोडला जिला-कबीरधाम.	थाना-चिल्फी, तहसील-बोडला जिला-कबीरधाम.	शीतलपानी	39
07.	—,,—	—,,—	प्रभुझोला	39
08.	—,,—	—,,—	मचिया कोन्हा	39
09.	—,,—	—,,—	बरेन्डी पानी	40
10.	—,,—	—,,—	खिलाही	39
11.	—,,—	थाना-रेंगाधार, तहसील-बोडला जिला-कबीरधाम.	समनापुर	40
12.	—,,—	—,,—	केरानार (अंजना)	41
13.	—,,—	—,,—	लबहर	42
14.	—,,—	—,,—	दरिया	41
15.	—,,—	—,,—	बरबसपुर	40
16.	—,,—	—,,—	नंदनी	40
17.	—,,—	—,,—	कुमान	40
18.	—,,—	—,,—	सिलयारी	40
19.	—,,—	—,,—	बन्दुकुंदा	40
20.	—,,—	—,,—	सौरू	48
21.	—,,—	—,,—	बोल्दा	48
01.	थाना-सिंघनपुरी जंगल, तह.-सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम.	थाना-सहसपुर लोहारा, तहसील-सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम.	सिंघनपुरी	13
02.	—,,—	—,,—	पवनतरा	13
03.	—,,—	—,,—	सुरजपुरा जंगल	16
04.	—,,—	—,,—	पेंडीतराई	16
05.	—,,—	—,,—	अमलीडीह	12
06.	—,,—	—,,—	कुम्हारी	15
07.	—,,—	—,,—	रेन्दाखाम्ही	15
08.	—,,—	—,,—	कटोरी	15
09.	—,,—	—,,—	खोलवा	15
10.	—,,—	—,,—	छोटे धनौरा	15
11.	—,,—	—,,—	बड़े धनौरा	15
12.	—,,—	—,,—	टाटावाही	15
13.	—,,—	—,,—	नुनझापर	16
14.	—,,—	—,,—	कामनबोड़	12
15.	—,,—	—,,—	खैरा	12
16.	—,,—	—,,—	कोयलारी	09
17.	—,,—	—,,—	भादूटोला	13
18.	—,,—	—,,—	बामी	09
19.	—,,—	—,,—	पीपरटोला (बड़े)	08
20.	—,,—	—,,—	केजेदाह	09
21.	—,,—	—,,—	भैसबोड़	09
22.	—,,—	—,,—	बनखैरा	09
23.	—,,—	—,,—	कनवाटोला	14
24.	—,,—	—,,—	भेण्डा नवागांव	14
25.	—,,—	—,,—	बेगारभर्री	14
26.	—,,—	—,,—	बोटेसुर	14
27.	—,,—	—,,—	सोनझरी	14
28.	—,,—	—,,—	मोतिमपुर (छपला)	14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29.	थाना-सिंघनपुरी जंगल, तह.-सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम.	थाना-सहसपुर लोहारा, तहसील-सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम.	सरईपतेरा	14
30.	—,,—	—,,—	कुरूवा	12
31.	—,,—	—,,—	रानीदहरा	14
32.	—,,—	—,,—	पिरचाटोला	16
33.	—,,—	थाना-सहसपुर लोहारा, तहसील-बोडला जिला-कबीरधाम.	मोहनपुर	12
34.	—,,—	—,,—	जरहानवागांव	13
35.	—,,—	—,,—	सरोधी	14
36.	—,,—	—,,—	भनसुला	14
37.	—,,—	—,,—	जुनवानी	14
38.	—,,—	—,,—	कटंगीकला	14
39.	—,,—	—,,—	कटंगीखुर्द	14
40.	—,,—	—,,—	पालक	14

जिला-बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	थाना-सकरी, तहसील-तखतपुर जिला-बिलासपुर.	थाना-हिर्री, तहसील-तखतपुर जिला-बिलासपुर.	लाखासार	32
02.	—,,—	—,,—	विंध्यासार	46
03.	—,,—	—,,—	गिरधौना	01
04.	—,,—	—,,—	कोडापुरी	33
05.	—,,—	—,,—	सागर	32
06.	—,,—	—,,—	केकडार	34
07.	—,,—	थाना-चकरभाठा, तहसील-बिलासपुर जिला-बिलासपुर.	बहतराई	40
08.	—,,—	—,,—	सलमपुरी	40
09.	—,,—	—,,—	पांड	42
10.	—,,—	थाना-कोनी, तहसील-तखतपुर जिला-बिलासपुर.	लोखण्डी	54
11.	—,,—	थाना-चकरभाठा, तहसील-तखतपुर जिला-बिलासपुर.	चोरभट्ठी कला	50
12.	—,,—	—,,—	काठाकोनी	48
13.	—,,—	—,,—	खजूरी नवागांव	48
14.	—,,—	—,,—	बिनौरी	46
15.	—,,—	—,,—	सकरी	45
16.	—,,—	—,,—	परसदा (भरनी)	47
17.	—,,—	—,,—	सैदा	41
18.	—,,—	—,,—	घुरू	43
19.	—,,—	—,,—	मेण्ड्रा	42
20.	—,,—	—,,—	देवरी कला	47
21.	—,,—	—,,—	पोडी	51
22.	—,,—	—,,—	हाफा	44
23.	—,,—	—,,—	चोरभट्ठी खुर्द	49

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24.	थाना–सकरी, तहसील–तखतपुर जिला–बिलासपुर.	थाना–चकरभाठा, तहसील–तखतपुर जिला–बिलासपुर.	पेण्डारी	47
25.	—,,—	—,,—	अमेरी	43
26.	—,,—	—,,—	उसलापुर	45
27.	—,,—	—,,—	भरनी	49
28.	—,,—	—,,—	जोंकी	44

जिला–जगदलपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	थाना–डिलमिली, तहसील–दरभा जिला–बस्तर.	थाना–कोड़ेनार, तहसील–दरभा जिला–बस्तर.	डिलमिली	01
02.	—,,—	—,,—	छोटेगुडरा	02
03.	—,,—	—,,—	अलवा	02
04.	—,,—	—,,—	ढोढरेपाल	02
05.	—,,—	चौकी–पखनार, तहसील–दरभा जिला–बस्तर.	टेमरूभटा	09
06.	—,,—	—,,—	कटेनार	09
07.	—,,—	—,,—	केलाउर	10
08.	—,,—	थाना–कोड़ेनार, तहसील–दरभा जिला–बस्तर.	मांझीभाटा	11
09.	—,,—	—,,—	गोरियापाल	10
10.	—,,—	—,,—	मादरकोटा	04
11.	—,,—	—,,—	छोटे बोदेनार	11
12.	—,,—	थाना–दरभा, तहसील–दरभा जिला–बस्तर.	बड़े कड़मा	03
13.	—,,—	थाना–कोड़ेनार, तहसील–दरभा जिला–बस्तर.	छोटे कड़मा	03
14.	—,,—	थाना–कोड़ेनार, तहसील–बास्तानार जिला–बस्तर.	टंगियाझोड़ी	11
15.	—,,—	थाना–कोड़ेनार, तहसील–दरभा जिला–बस्तर.	मूयागुड़ा	09
16.	—,,—	थाना–कोड़ेनार, तहसील–तोकापाल जिला–बस्तर.	बुरूगपाल	15
17.	—,,—	—,,—	मावलीभाटा	15
18.	—,,—	—,,—	मंडवा	15
19.	—,,—	—,,—	उडवा	15
20.	—,,—	—,,—	एरण्डवाल	16
21.	—,,—	—,,—	दुगनपाल	16
22.	—,,—	थाना–बड़ाजी, तहसील–तोकापाल जिला–बस्तर.	बारूपाटा	14
23.	—,,—	थाना–कोड़ेनार, तहसील–तोकापाल जिला–बस्तर.	रायकोट	16
24.	—,,—	—,,—	बड़ेआरापुर	12
25.	—,,—	—,,—	मटकोट	13
26.	—,,—	थाना–परपा, तहसील–तोकापाल जिला–बस्तर.	नैनमुर	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.	थाना–डिलमिली, तहसील–दरभा जिला–बस्तर.	थाना–कोड़ेनार, तहसील–तोकापाल जिला–बस्तर.	नैननार	14
28.	—,,—	थाना–परपा, तहसील–तोकापाल जिला–बस्तर.	कानाकुरूषपाल	14
29.	—,,—	थाना–बडांजी, तहसील–तोकापाल जिला–बस्तर.	साल्हेपाल	13
30.	—,,—	थाना–परपा, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर.	कलेपाल	14
31.	—,,—	थाना–परपा, तहसील–तोकापाल जिला–बस्तर.	तेलंगाआरापुर	12
32.	—,,—	थाना–दरभा, तहसील–दरभा जिला–बस्तर.	चितापुर	03

जिला-कोण्डागांव

01.	थाना–एरला, तहसील–माकड़ी जिला–कोण्डागांव.	थाना–माकड़ी, तहसील–माकड़ी जिला–कोण्डागांव.	एरला	24
02.	—,,—	—,,—	अनंतपुर	26
03.	—,,—	—,,—	गुमड़ी	24
04.	—,,—	—,,—	बेलोण्डी	24
05.	—,,—	—,,—	अमरावती	27
06.	—,,—	—,,—	हिरलाभाट	27
07.	—,,—	—,,—	बड़े सोहंगा	26
08.	—,,—	—,,—	छोटे सोहंगा	26
09.	—,,—	—,,—	बीजापुर	27
10.	—,,—	—,,—	बिंजोली	28
11.	—,,—	—,,—	नेवरा	30
12.	—,,—	—,,—	किरमारी	30
13.	—,,—	—,,—	छोटे घोड़सोड़ा	28
14.	—,,—	—,,—	बड़े घोड़सोड़ा	28
15.	—,,—	—,,—	बेलगांव वन ग्राम	29
16.	—,,—	—,,—	छिनारी	30
17.	—,,—	—,,—	गागड़ा	24
18.	—,,—	—,,—	बेड़ागांव	26
19.	—,,—	—,,—	ओण्डारगांव	29
20.	—,,—	—,,—	तरईबेड़ा	29
21.	—,,—	—,,—	चिंगड़ाबेड़ा	29
22.	—,,—	—,,—	आंगाकोना	26
23.	—,,—	—,,—	हिरावण्डी	22
24.	—,,—	—,,—	तौरेंगा	22
25.	—,,—	—,,—	सिवनी	24
26.	—,,—	—,,—	करण्डी	25
27.	—,,—	थाना–कोण्डागांव, तहसील–कोण्डागांव जिला–कोण्डागांव.	मालगांव	23
28.	—,,—	—,,—	भिरागांव अ	23
29.	—,,—	—,,—	सीदावण्ड	23

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	थाना-एरला, तहसील-माकड़ी जिला-कोण्डागांव.	थाना-कोण्डागांव, तहसील-कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव.	निलजी	25
31.	—,,—	—,,—	कतावण्ड	25
32.	—,,—	—,,—	कुलझर	25
33.	—,,—	—,,—	उमरगांव अ	25
34.	—,,—	—,,—	डोंगरसिलाटी	22
35.	—,,—	—,,—	सिंघनपुर	22
36.	—,,—	—,,—	फुका गिरोला	22
37.	—,,—	—,,—	बड़े सिलाटी	22

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 6-42/2012/12.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 23 क में, उप-नियम (2) में, खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(दो) जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा 23 मार्च, 2016 के पूर्व, उत्खनन के लिये स्वीकृति आदेश अथवा आशय पत्र (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) जारी कर दिया गया है, वहां उत्खनन पट्टा, स्वीकृति आदेश अथवा आशय पत्र में वर्णित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए 22 मार्च, 2018 तक अनुदत्त किया जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

टीप :— छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-03-2015 में प्रकाशित किया गया था, जिसके हिन्दी पाठ में शुद्धिपत्र दिनांक 30-01-2016 अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 23-03-2016 तथा 13-02-2017 द्वारा संशोधित किया गया. मूल नियम को अंतिम बार अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 12-04-2017 द्वारा संशोधित किया गया.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 6-42/2012/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12 दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 26th October 2017

No. F 6-42/2012/12.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In Rule 23A, in sub-rule (2) in cluase (b), for sub-clause (ii) the following shall be substituted, namely :—

"(ii) Where a grant order for quarrying or letter of Intent (by whatsoever name called) has been issued by the Competent Authority prior to 23rd March, 2016, the quarry lease shall be granted before 22nd March, 2018, subject to fulfilment of the condition laid down in the grant order or letter of Intent".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Deputy Secretary.

Note :— The Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 were notified in the Chhattisgarh Rajpatara (Asadharan) dated 27-03-2015, corrigendum dated 30-01-2016 issued for Hindi part of it. The Rules were further amended vide notification number F 6-42/2012/12, dated 23-3-2016 and 13-2-2017. The principal rules were lastly amended vide notification number F 6-42/2012/12, dated 12-04-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Deputy Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 7-36/2016/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 12-7-2017 द्वारा अभनपुर विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुऐ, दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

अभनपुर विकास योजना 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बकतरा प.ह.नं. 00013	1548/1	0.040	कृषि	आवासीय
2.		1548/2	0.100	कृषि	आवासीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.		1548/3	0.170	कृषि	आवासीय
4.		1549/1	0.060	कृषि	आवासीय
5.		1549/2	0.110	कृषि	आवासीय
6.		1549/3	0.060	कृषि	आवासीय
7.		1549/5	0.060	कृषि	आवासीय
8.		1549/6	0.050	कृषि	आवासीय
9.		1550/1	0.170	कृषि	आवासीय
10.		1550/2	0.160	कृषि	आवासीय
11.		1551/1	0.110	कृषि	आवासीय
12.		1551/2	0.100	कृषि	आवासीय
13.		1552	0.070	कृषि	आवासीय
14.		1554	0.100	कृषि	आवासीय
15.		1555	0.090	कृषि	आवासीय
16.		1556	0.040	कृषि	आवासीय
17.		1557	0.060	कृषि	आवासीय
18.		1559	0.080	कृषि	आवासीय
19.		1560	0.080	कृषि	आवासीय
20.		1628	0.170	कृषि	आवासीय
21.		1630	0.070	कृषि	आवासीय
22.		1631/2	0.170	कृषि	आवासीय
23.		1631/3	0.100	कृषि	आवासीय
24.		1670	0.130	कृषि	आवासीय
25.		1690	0.170	कृषि	आवासीय
26.		1691	0.100	कृषि	आवासीय
27.		1558	0.380	कृषि	आवासीय
28.		1620	0.330	कृषि	आवासीय
29.		1624	0.240	कृषि	आवासीय
30.		1625	0.210	कृषि	आवासीय
31.		1626	0.110	कृषि	आवासीय
32.		1627	0.130	कृषि	आवासीय
33.		1629	0.570	कृषि	आवासीय
34.		1671	0.130	कृषि	आवासीय
35.		1689	0.130	कृषि	आवासीय
36.		1692	0.260	कृषि	आवासीय
		कुल रकबा	5.29 हेक्टेयर		

2. उक्त उपांतरण ओरियंटल बैंक कर्मचारी मर्या, सहकारी समिति के आवासीय प्रयोजन हेतु हैं.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा अभनपुर विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण अभनपुर विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्रमांक 582/अविअ/भू.अ.प्र.क्र. 13/अ/82 वर्ष 2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	सुकली	106	5.998 हे.	सुकली व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 11-10-2017 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) सामुदायिक भवन ग्राम-सुकली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सुकली व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	71
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
आठ	परियोजना की कुल लागत	—	283.44 लाख
नौ	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंचाई की सुविधा
दस	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	5.00 लाख रुपये
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्रमांक 842/अविअ/भू.अ.प्र.क्र. 01/अ/82 वर्ष 2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	किसडा	270	39.699 हे.	बिला जलाशय निर्माण कार्य.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 22-09-2017 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम-किसड़ा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बिलानाला जलाशय का निर्माण कार्य
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	119
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
आठ	परियोजना की कुल लागत	—	2441.39 लाख
नौ	परियोजना से होने वाला लाभ	—	योजना से 13 ग्रामों को 1238 हे. खरीफ फसल की सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी.
दस	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	5.00 लाख रुपये
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सिंह राणा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 29 सितम्बर 2017

क्रमांक/भू-अर्जन प्र. क्र. 02/अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-कसौदी, प.ह.नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.470 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1094/2 ख	0.185
	1108	0.145
	1093/1 क	0.140
योग	03	0.470

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मखुरहा जलाशय योजना के आर.बी.सी. नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसडोल के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सिंह राणा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 नवम्बर 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-कुनकुनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.698 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
571/1	0.121
585, 586/2/3	0.154
188	0.202
575/2	0.036
152/3	0.101
776/1	0.029
303/4	0.182
124	0.081
203/1 क	0.089
585, 586/2/1	0.040
116/1	0.048
147/3	0.121
574/2	0.014
743	0.081
186/1	0.081
404/6	0.081
776/3	0.073
152/4	0.101
109	0.040
304/1	0.081

	(1)	(2)
	176/1	0.040
	203/1 ख	0.122
	142/1	0.113
	116/3	0.242
	148/2	0.040
	772/3	0.081
	203/6 क	0.101
	203/5	0.143
	400/3	0.223
	203/3 क	0.081
	359	0.202
	116/2	0.142
	401	0.040
	303/3	0.040
	203/1 घ	0.085
	142/2	0.040
	152/1	0.012
	189/2, 192/2	0.121
	771/1	0.049
	740	0.024
	737/2	0.024
	584	0.231
	403/1	0.162
	217/4	0.252
	90/1	0.081
	304/5	0.081
	152/5	0.028
	147/1	0.057
	147/2	0.028
	287/2	0.057
योग	50	4.698

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंदन संजय त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 सितम्बर 2017

क्रमांक/14713/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जोंगरा, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.319 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	470/2	0.202
	469/1	0.028
	524/7, 527/7	0.057
	524/8 क, 827/8 क	0.032
योग	04	0.319

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 सितम्बर 2017

क्रमांक/14715/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जोंगरा, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	48/3	0.049
	48/5	0.036
योग	02	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भेडापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 सितम्बर 2017

क्रमांक/14717/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-चमरवाह, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.275 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	38/1	0.004
	39/1	0.271
योग	02	0.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2017

क्रमांक 63/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-मझवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.389 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	416	0.065
	433	0.134
	377/1 ख	0.190
योग	3	0.389

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मझवानी जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2017

क्रमांक 64/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-रिंगवार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.868 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	253/5	0.049
	253/7	0.081
	261/1	0.049
	261/2 क	0.032
	252/6	0.045
	252/1	0.085
	249/2	0.040
	252/2	0.049
	252/9	0.045
	252/3	0.121
	245/2	0.057
	218	0.231
	250	0.073
	246	0.178
	222	0.117
	193	0.085
	241/3	0.061
	252/7	0.032
	212/4	0.097
	212/2	0.040
	252/8	0.028
	211/1, 212/1	0.093
	195	0.036
	200/2	0.117
	192/2	0.061
	192/1	0.077
	197/2	0.020
	179	0.085
	196/1	0.028
	192/3	0.073
	177/2	0.032
	177/3	0.012
	241/1	0.040
	385/1	0.069
	386	0.069
	387	0.069
	232/2	0.024
	233/2	0.073
	233/5	0.045
	233/7	0.045
	178/7	0.069
	197/1	0.016
	197/3	0.016
	197/4	0.020
	197/5	0.020
	178/4	0.028
	261/2 ख	0.028
	261/2 ग	0.008
योग	49	2.868

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिंगवार जलाशय योजना अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भार.अधि./2017-18/4979.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-8/32(2)/भार.अधि./2017-18/2010-2011 रायपुर, दिनांक 19-06-2017 द्वारा सुश्री भारती चन्द्राकर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पंखाजूर को कृषि उपज मण्डी समिति पखांजूर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के पत्र क्रमांक 6483/कले./व.लि.-2/न.क्र. 33/2017 दिनांक 19-09-2017 द्वारा श्री विनय कुमार पोयाम, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को कृषि उपज मंडी समिति पखांजूर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, सुश्री भारती चन्द्राकर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पखांजूर के स्थान पर श्री विनय कुमार पोयाम, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पखांजूर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति पखांजूर जिला-उ.ब.कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भार.अधि./2017-18/5307.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-8/32(2)/भार.अधि./2016-17/5490-5491 रायपुर, दिनांक 07-12-2016 द्वारा श्री पवन कुमार प्रेमी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली को कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 5479/71/क./अ.अ.ऊ. शाखा/2017-18 महासमुन्द दिनांक 22-09-2017 द्वारा श्री एस. के. टण्डन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली को कृषि उपज मंडी समिति सरायपाली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री पवन कुमार प्रेमी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली के स्थानांतरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री एस. के. टण्डन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिजीत सिंह,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th October 2017

No. 8585/Rules/2017.—In exercise of the powers conferred under Articles 227, 233, 234 and 235 of the Constitution of India the High Court of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in Schedule-I of the

Chhattisgarh Judicial Officers (Confidential Rolls) Regulations, 2015 :—

AMENDMENTS

"After Serial Number 4 of Schedule-I of Chhattisgarh Judicial Officers (Confidential Rolls) Regulations, 2015, the following shall be inserted :—

4-A	President of Industrial Court.	Chief Justice	Chief Justice	Chief Justice
4-B	Member Judge of the Industrial Court, Presiding Officers of the Labour Courts.	President of Industrial Court.	Portfolio Judge of the concerned District.	Chief Justice

Bilaspur, the 7th October 2017

No. 8587/Rules/2017.—In exercise of the powers conferred under Articles 225 and 227 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh is pleased to make the following further amendments in the High Court of Chhattisgarh Rules, 2007, which shall come into force from the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette :—

AMENDMENTS

Rule 140 (23) of High Court of Chhattisgarh Rules, 2007 be substituted by the following provision :—

"23 (i) **Arbitration Application :** All arbitration applications under Arbitration Act, 1940 or under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 excluding requests for appointment of arbitrator under Section 11 (4), (5) or (6) of the 1996 Act.

(ii) **Arbitration Request :** All arbitration requests under Section 11 (4), (5) or (6) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

(iii) **Arbitration Appeal :** Appeals under the Arbitration Act, 1940 or the Arbitration and Conciliation Act, 1996."

By order of Hon'ble the High Court,
GAUTAM CHOURDIYA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्रमांक 215/दो-2-12/2009.—श्री अशोक कुमार गोयल, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जशपुर दिनांक 27-07-2017 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक 8832/Checker/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री सतीश कुमार खाखा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, पामगढ़ अपने घोषित कार्य स्थल पामगढ़ के अतिरिक्त नवागढ़ में भी माह में एक सप्ताह बैठक करेंगे.

No. 8832/Checker/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that Shri Satish Kumar Khakha, Civil Judge Class-II, Pamgarh in addition to his declared place of sitting at Pamgarh shall also sit at Navagarh for a week in a month.

By order of the High Court,
RAJANI DUBEY, I/c Registrar General.

Bilaspur, the 6th October 2017

No. 71/L.G./2017/II-2-4/2004.—Shri Vinay Kumar Kashyap, District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted commuted leave for 10 days from 17-07-2017 to 26-07-2017 and earned leave for 05 days from 04-09-2017 to 08-09-2017 along with permission to remain out of headquarters from the evening 05.30 p.m. of 01-09-2017 till the night 10.00 p.m. of 10-09-2017.

During the period of commuted leave & earned leave as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kashyap, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 236 days of half-pay-leave & 300+10 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 6th October 2017

No. 72/L.G./2017/II-2-3/2014.—Smt. Anita Dahariya, Judge, Family Court, Bemetara is hereby, granted earned leave for 05 days from 11-09-2017 to 15-09-2017 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 09-09-2017 till before the Court hours of 18-09-2017.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dahariya, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 6th October 2017

No. 73/L.G./2017/II-2-43/2004.—Shri Prabhat Kumar Shastri, Judge Family Court, Manendragarh, District-Koriya is hereby, granted earned leave for 09 days from 11-09-2017 to 19-09-2017 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 299 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th October 2017

No. 74/L.G./2017/II-3-10/2005.—Smt. Minakshi Gondaley, Judge Family Court, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 05 days from 11-09-2017 to 15-09-2017 along with permission to leave headquarters after the Lok Adalat on 09-09-2017 till 17-09-2017.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Gondaley, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 175 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 6th October 2017

No. 75/L.G./2017/II-3-14/2008.—Shri K. L. Charyani, Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 02 days on 07-09-2017 & 08-09-2017 along with permission to leave headquarters from the evening of 06-09-2017 till the morning of 11-09-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Charyani, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 254 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th October 2017

No. 76/L.G./2017/II-2-4/2009.—Shri Ashok Kumar Sahu, District & Sessions Judge, Mungeli is hereby, granted earned leave for 06 days from 31-07-2017 to 05-08-2017 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 29-07-2017 till before the office hours of 08-08-2017 and earned leave for 02 days on 11-09-2017 & 12-09-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sahu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+07 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th October 2017

No. 77/L.G./2017/II-03-07/2015.—Shri Santosh Sharma, District & Sessions Judge, Baloda-Bazar is hereby, granted earned leave for 07 days from 01-09-2017 to 07-09-2017 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 159 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th October 2017

No. 78/L.G./2017/II-2-4/2005.—Shri Manish Kumar Naidu, Special Judge (Atrocities), Raigarh is hereby, granted earned leave for 05 days from 11-09-2017 to 15-09-2017 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Naidu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+04 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th October 2017

No. 79/L.G./2017/II-3-26/2014.—Shri Sirajuddin Qureshi Judge Family Court, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 03 days from 18-09-2017 to 20-09-2017 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 15-09-2017 till before the office hours of 21-09-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Qureshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 147 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
OMPRAKASH SINGH CHAUHAN, Additional Registrar (ADMN.).